न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–264 / 2022

दायर दिनांक 02.11.2022

जीसीएमएस आई0डी0:–2022 / 660

1. श्रीराम पुत्र बसन्ती
2. जीतेन्द्र } पिसरान
3. धमेन्द्र } रेखसिंह पुत्र बसंती
4. निरी बेबा रेखसिंह पुत्र बसंती
5. जगमोहन
6. राजेन्द्र } पिसरान
7. लोहडे } गुट्या
8. रामकेश
9. पृथ्वी

} जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

——सायलान–09

बनाम

1. बृजलाल पुत्र साधू जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——गैरसायलान–02

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान

निर्णय दिनांकः–

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजीयात खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 15 ऐयर स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल स0 1 एवं उसकी मृतक माता मु0 आनंदी बेबा साधू के नाम वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज है।

आराजीयात साबिक खसरा न0 857 रकबा 17 बिस्बा स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन को पूर्व खातेदार रामचरण पुत्र रामजीलाल द्वारा सायलान न0 1 ता 4 की माता मु0 बसंती एवं सायलान स0 5 लगायत 9 के पिता मृतक गुट्या को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर मौके पर कब्जा संभला लिया। उक्त विक्रय पत्र को सब रजिस्ट्रार कार्यालय [illegible] 2.07.1984 को पुस्तक स0 1 की जिल्द स0 6 के पृष्ठ स0 120 [illegible] पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार सायलान उक्त आराजी साबिक खसरा न0 857 के वैधानिक [illegible] खातेदार काश्तकार है। एवं बतौर स्वामी एवंम दखील है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उक्त आराजीयात साबिकखसरा न0 857 जिसके नवीन खसरा न0 2677 व 2694 कायम किये गये है। सायलान स0 1 ता 4 ने कृषि विकासार्थ पुख्ता निर्माण किया हुआ है। उक्त खसरा न0 की पुख्ता चार दीवारी सायल स0 1 लगायत 4 द्वारा की हुई है। इस प्रकार उक्त आराजीयात पर खरीद के दिनांक से आज दिनांक से आज दिन तक सायलान का कब्जा काश्त होना भली प्रकार साबित है। उक्त आराजीयात से गैरसायल न0 1 का कभी कोई संबंध नही तो पूर्व में रहा है। और ना ही आज है, लेकिन रेवन्यु रिकॉर्ड में गलती का बेजा लाभ उठाकर गैरसायलान सायलान को बेदखल करने पर आमदा है। इसलिये दावा व संबधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

बाका दिनांक 10.09.2022 कोसायलान अपनी आराजीयात में बोई फसल की सार संभाल कर रहे थे, कि गैरसायल स0 1 मय हमराहीयान आया एवं कहने लगा कि ये खेत हमारे नाम है। इसलिये अब तुम इसे काश्त मत करना। सायालान ने गेरसायल का समझाने का भरसक प्रयास किया, कि भाई कि भूमि मेंरे कब्जे काश्त की भूमि है। इसे मै बुजुर्गो के समय से काश्त करता चला आ रहा हूॅं। इसे मै ही काश्त करूंगा। सायलान ने गैरसायल को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये उक्त दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गेरसायल आराजीयात खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 17 ऐयर, स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन से बहिस्सा 1/2 से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। तथा सायलान के कब्जे काश्त में मजाहतम मदाख़लत पैदा नहीं करे। नाही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। नाही किसी अन्य से करावे। जिससे सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल न0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 20.0[illegible].2025 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 552, वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन, नक्शा ट्रैस, मिलान क्षेत्रफल, विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1984 पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौरान बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 552, वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली, नक्शा ट्रैस, मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि विवादित आराजी खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 17 ऐयर, स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान के हक दिनांक 02.07.1984 में ही बेचान किया जा चुका है किन्तु सायलान के हक में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 17 ऐयर, स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायालान के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सायलान ने खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 17 ऐयर, स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन भूमि खरीद की है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 17 ऐयर, स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य होना प्रतीत होता है।

अतः सायलान ने ... खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 2677 रकबा 12 ऐयर, 2694 रकबा 17 ऐयर, स्थित ग्राम कटकड़ तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 30/5/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 30/5/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन मिट्टी (करौली)
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:32 IST
Reason: SelfAttested